फर्द अहकाम

कैलाश बनाम बाबूलाल

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 33/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
29/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। बहस अंतिम सुनी गई। वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि वादी की ओर से वाके ग्राम मानपुरा माचेड़ी तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी भूमि खसरा नं. 1382 रकबा 0.3800 की सीमाओं के सन्दर्भ में इस्तगासा वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादी-1 के विरुद्ध, जो कि वादी की खातेदारी की उक्त भूमि खसरा नं. 1382 के पूर्वी दिशा की समीपवर्ती / सीमा लगावा भूमि खसरा नं. 1380 (आबादी भूमि) में निवासित है, के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। उक्त वर्णित भूमि आराजी खसरा नं. 1382 रकबा 0.3800 है. वादी, वादी की माता व अन्य 02 खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिस पर वादी मय उक्त अन्य खातेदारान के भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादी का अपनी उक्त भूमि के खातेदारान से कोई विवाद नहीं है, ना ही उनके विरुद्ध कोई अनुतोष चाहा गया है। जिससे उक्त खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी द्वारा कथन किया गया कि वादी अपनी भूमि [illegible] और पेड़ पौधे व डोल एवं तारबंदी लगाकर भूमि का उपयोग-उपभोग करता आ रहा है।	P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.10.16 13:40:46 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

कैलाश बनाम बाबूलाल

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय-जयपुर

संख्या 33/2025

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	29/8/25	परन्तु प्रतिवादी-1 आये दिन वादी की खड़ी फसल को, पेड़ पौधो को उखाड़ देता है तथा वादी की भूमि की सीमा पत्थरों पिलरों को तोड़ देता है एवं तारबाड़बंदी व नालबंदी को भी नुकसान पहुँचाता है जिससे वादी को फसल का नुकसान होता है जिस बाबत वादी के आपत्ति करने पर प्रतिवादी-1 वादी को विभिन्न प्रकार की धमकीयाँ देता है। प्रतिवादी-1 की उक्त अविधिक गतिविधियों बाबत वादी द्वारा पूर्व में भी दिनांक 21-05-25 को पुलिस कार्यवाही की गई थी। जिस पर पुलिस अधिकारीयों की ओर से भी प्रतिवादी-1 को उसकी अविधिक गतिविधियों बाबत पाबन्द किया गया था, परन्तु इसके उपरान्त भी प्रतिवादी-1 अपनी उक्त गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा है तथा वादी को निरन्तर परेशान करता आ रहा है। एवं वादी की फसल, तारबंदी व सीमाचिन्हों को नष्ट करते हुए वादी की भूमि की सीमा में अवैध अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे वादी को अपनी फसल, तारबन्दी व भूमि की सीमाओं की सुरक्षार्थ वाद कारण उत्पन्न होकर वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। जिसके अन्तर्गत अनुसार वादी प्रतिवादी-1 को वादी की भूमि की सीमाओं में किसी प्रकार की अविधिक दखलन्दाजी हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

कैलाश बनाम बाबूलाल

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय-जयपुर

संख्या 33/2025

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	29/8/25	प्रतिवादी-1 को जरिये डिग्री स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि वह वादी की खातेदारी / सहखातेदारी की उक्त वर्णित भूमि आराजी खसरा नं. 1382 रकबा 0.38 हे. वाके ग्राम मानपुरामाचेड़ी तहसील आमेर जिला जयपुर की सीमा में स्थित बाउन्ड्रीवाल व तारबन्दी को नष्ट ना करे, नाही भूमि की सीमा में किसी प्रकार की अविधिक दखलन्दाजी व वादी के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित करें। वादी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 बाबत खाता सं. 1069, 1183 वाके ग्राम मानपुरामाचेड़ी की प्रमाणित (ऑनलाईन) प्रति व खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी की ऑनलाईन प्रति प्रस्तुत की गई है। हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। प्रतिवादी-1 को वादपत्र के तथ्यों के संदर्भ में किसी भी प्रकार की अभिवचन / अभिकथन व वादपत्र के अन्तर्गत अपेक्षित अनुतोष के संदर्भ में किसी भी प्रकार की उज्र आपत्ति व तथ्यों के खंडन हेतु विधिवत नोटिस जारी किए गए हैं। जिनकी विधिवत प्राप्ति के उपरान्त भी प्रतिवादी-1 की ओर से ना तो न्यायालय हाजा के [illegible] प्रस्तुत की गई है, ना [illegible] वादपत्र के तथ्यों का किसी भी स्तर पर	P.T.O.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.10.16 13:40:46 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

कैलाश बनाम काबूलाल

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 33/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
	29/8/25	व किसी भी रूप में कोई मान्य / औपचारिक खंडन भी प्रस्तुत किया गया है एवं ना ही किसी भी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति ही प्रस्तुत की गई है। जबकि वादी द्वारा अपनी आलिखित खातेदारीता की भूमि मात्रा के संदर्भ में सीमाओं की सुरक्षार्थ वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रतिवादी की के हक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव प्रतीत नहीं है। अतः वाद बहुलता व न्यायहित के दृष्टिगत वाद वादी स्वीकार डिक्री किया जाकर प्रतिवादी -1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादी की खातेदारीता (सहखातेदारीता) की भूमि आराजी खसरा नं. 1382 रकबा 0.3800 है. की सीमाओं में किसी भी प्रकार की कोई अविधिक कार्यवाही तथा वादी के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा कारित ना करें, ना ही भूमि पर स्थित तारबन्दी / तारकांटा व फसल आदि को नष्ट करें। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.10.16 13:40:46 IST
Reason: SelfAttested